जन धन योजना में खाताधारकों को राहत

■ 'बैलेंस चेक करने को भी माना जाएगा ट्रांजेक्शन'

आज समाज नेटवर्क

गुड़गांव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अतिमहत्वाकांक्षी जन धन योजना को और अधिक आकर्षक बनाने एवं खाताधारकों को अधिक सहूलियत देने के लिए केंद्र सरकार ने नियमों को शिथिल कर दिया है ताकि खाताधारक इस योजना का लाभ उठा सकें। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक आरएस शर्मा ने बताया कि केंद्र सरकार ने उक्त योजना के तहत बैंकों में खाता खुलवाने वाले खाताधारकों को बैंकों से लेन देने करने के नियमों में बदलाव किया है। पहले इस योजना के तहत खुले खाते में धन राशि जमा करने या उससे निकासी करने को ही लेन देन माना जाता था लेकिन अब खाताधारक द्वारा कार्ड से बैलेंस चेक करने की प्रक्रिया को भी ट्रांजेक्शन (लेन देन) माना जाएगा।

उनका कहना है कि सरकार ने नियमों में इसलिए ढील दी है ताकि अधिक से अधिक खाताधारकों को इस योजना के तहत बीमा की सुविधा मिल सके। अब न केवल ट्रांजेक्शन की शर्त के तहत अवधि को 45 दिन से बढ़ाकर 90 दिन कर दिया गया है अपितु ट्रांजेक्शन की शर्त को भी काफी शिथिल कर दिया गया है। उनका कहना है कि अब खाताधारकों को 90 दिन में रकम जमा करने या उसकी निकासी करने या केवल एटीएम में जाकर अपने खाते का बैलेंस चैक करने को भी ट्रांजेक्शन के समान दर्जा दे दिया गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर लाल किला की प्राचीर से दिए अपने भाषण में जन धन योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत एक लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 30 हजार रुपए का जीवन बीमा कवरेज है। जीरो बैलेंस की सुविधा, निशुल्क रुपे कार्ड, ओवर ड्राफ्ट की सुविधा आदि भी दी गई थी। बीमा कवरेज के साथ अन्य सुविधाएं तभी मिलती हैं जबकि खाता खोलने के 45 दिन के अंदर उसमें पैसे जमा कराए जाएं। निश्चित अवधि में खाते में ट्रांजेक्शन होते रहना भी जरुरी है। इसी अवधि को अब 45 दिन से बढाकर 90 दिन किया जा चुका है।